अध्याय-33

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के प्रशासनिक मामले

रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का आंतरिक कार्य अध्ययन एकक (आईडब्लयूएसयू)

33.1 प्रशासनिक सुधार लाने, स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित करने तथा उपयुक्त संगठनात्मक ढ़ाँचा तैयार करने तथा कार्य पद्धति हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंतरिक कार्य अध्ययन एकक ने रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों में अनेक कार्यमापन अध्ययन तथा ओ एण्ड एम निरीक्षण किए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान, कार्ययोजना के अनुसार ओ.एण्ड एम. निरीक्षण हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के 18 फील्ड कार्यालयों की पहचान की गई है जिनमें पाँच निरीक्षण पहले ही किए जा चुके हैं। यह देखने के लिए कि कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल के उपबंधों तथा समय-समय पर उनमें दिए गए अनुदेशों का पालन किस सीमा तक किया जा रहा है, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) में अनुभागों/एककों का, प्राथमिकता आधार पर वार्षिक ओ एण्ड एम निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2005-06 हेतु रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालयों को 3 कार्य मापन अध्ययन किए जाने प्रस्तावित है। इनमें से दो अध्ययन पहले ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

33.2 तीन माह से अधिक लंबित मामलों, अति विशिष्ट व्यक्ति संदर्भों, संसदीय मामलों, कोर्ट केसों इत्यादि, जैसे रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मु.) के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों का पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन करने के उद्देश्य से महानिदेशक/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में तिमाही ओ.एण्ड.एम बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं तथा इनके शीघ्र निपटान हेतु बैठक में उपयुक्त सुझाव/निदेश दिए जाते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 जोकि 12-10-2005 से प्रभावी हुआ के संदर्भ में अब ओ.एण्ड.एम. बैठकें अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं।

33.3 इस महानिदेशालय में ओ एण्ड एम गतिविधियों में उच्च निष्पादन दर्शाने वाले अनुभागों को पुरस्कार राशि दिए जाने की योजना आरम्भ की गई है। योजना के अनुसार, सबसे बेहतर सुव्यवस्थित अनुभाग/डैस्क/इकाई/सैल को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्रों सहित मंत्री जी की रनिंग ट्राफी दी जाती है। प्रथम एवं द्वित्तीय स्थान पाने वालों को नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। इन अनुभागों में कार्य कर रहे प्रत्येक संबंधित सहायक/लिपिक/टंकक तथा समूह 'घ' कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिए जाएंगें। इसके अतिरिक्त, संबंधित अनुभाग के अवर सचिव/उपसचिव को भी प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। वर्ष 2003-04 हेतु मंत्री रनिंग ट्रॉफी हेतु प्रशासन-II को सर्वश्रेष्ठ अनुभाग घोषित किया गया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के आईडब्लयूएसयू एकक को प्रथम रनर-अप तथा हिन्दी एकक एवं एसएस प्रभाग को संयुक्त रूप से द्वितीय रनर-अप घोषित किया गया।

33.4 प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग, कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय द्वारा परिकल्पित "कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका के उपबंधों की जानकारी" पर एक प्रतियोगिता आयोजित कर प्रशस्ति पत्रों एवं नकद पुरस्कार देने हेतु एक अन्य योजना है। यह योजना मंत्रालय में वर्ष 1999 में आरंभ की गई। वर्ष 2004-05 हेतु योजना के अधीन पुरस्कारों का निर्धारण करने के लिए श्रम शक्ति भवन में दिनांक 18.02.2005 को एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। मुख्य सचिवालय सी एल सी (सी) तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मु.) हेतु प्रतियोगिता का आयोजन संयुक्त रूप से किया गया। प्रतियोगिता अत्यधिक सफल रही तथा रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के 9 कार्मिकों ने पुरस्कार प्राप्त किए। सहायक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा निम्न श्रेणी लिपिक प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत तीन पुरस्कार थे। उच्च श्रेणी लिपिक श्रेणी के तहत् तृतीय पुरस्कार हेतु किसी भी कार्मिक को पात्र नहीं पाया गया जबकि निम्न श्रेणी लिपिक श्रेणी के अंतर्गत समान अंक होने के कारण दो पुरस्कार विजेता थे।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

33.5 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रयास किए गए। राजभाषा अधिनियम/नियमों में किए गए प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन की तिमाही एवं वार्षिक प्रगति रिपार्टों तथा प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकों के माध्यम से उच्च स्तर पर निगरानी की गई। हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी भाषा का ज्ञान

करवाने के लिए प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ कक्षाओं में नामित किया गया। इसके अतिरिक्त, अंग्रेजी आशुलिपिकों/टंककों को भी हिन्दी आशुलिपि/टंकण कक्षाओं में प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया। तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अनुरूप रिपोर्टाधीन वर्ष में कार्मिकों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

33.6 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निदेशानुसार हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति की समीक्षा हेतु महानिदेशक/संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में इस वर्ष में अब तक (09.03.2005, 11.05.2005 तथा 11.08.2005) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया गया। जिन अधीनस्थ कार्यालयों, के 80% कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

33.7 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का हिन्दी एकक राजभाषा अधिनियम/ नियमों के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुरूप कार्यान्वयन कार्य करता है और महानिदेशालय की अनुवाद संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हिन्दी एकक का समस्त कार्य कम्प्यूटरों पर निष्पादित होता है। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय (मुख्यालय) के विभिन्न अनुभागों तथा अधिकारियों के पास उपलब्ध कम्प्यूटरों में भी हिन्दी में कार्य करने हेतु द्विभाषिक साफ्टवेयर उपलब्ध करवाया गया है। वर्तमान में महानिदेशालय (मुख्यालय) में 118 अधिकारी तथा 162 कर्मचारी हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आरम्भ की गई हिन्दी शिक्षण योजनाओं की श्रृंखला के अंतर्गत एक प्रशिक्षणाधीन कर्मचारी को छोड़ कर शेष सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त हैं। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले, हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त तथा वर्ष के दौरान कार्यशालाओं में प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या तालिका में दी गई है।

क्रम संख्या	विवरण	राजपत्रित	अराजपत्रित (समूह-घ को छोड़ कर)
1.	संख्या	118	162
2.	हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले	08	09
3.	हिंदी में प्रवीणता प्राप्त	110	153
4.	वर्ष के दौरान कार्यशालाओं में प्रशिक्षित	15	15

33.8 कर्मचारियों में हिन्दी के प्रति रूचि उत्पन्न करने तथा उन्हें हिन्दी में कार्य करने के लिए दक्ष बनाने हेतु इस महानिदेशालय द्वारा नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान कुल 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को टिप्पण एवं मसौदा लेखन में हिंदी कार्यशालाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निर्धारित सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी में जारी किए गए तथा हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया गया है। हिन्दी में किए गए पत्राचार से संबंधित स्थिति तालिका में दर्शाई गई है :-

हिन्दी में प्राप्त पत्र (30 सितम्बर 2005 की स्थिति के अनुसार)	
पत्रों की कुल संख्या	4091
उत्तर अंग्रेजी में दिया गया	शून्य
जारी पत्रों की कुल संख्या	40765
हिन्दी/द्विभाषी रूप में जारी	30921
केवल अंग्रेजी में जारी	9844
हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत	76%

33.9 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय का हिंदी एकक महानिदेशालय के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों तथा संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, वार्षिक रिपोर्ट, निजी सदस्य विधेयकों, महानिदेशालय की विभिन्न

समितियों की बैठकों की कार्यसूची/कार्यवृत्त, अधिसूचनाएं व अन्य महत्वपूर्ण पत्राचार के अनुवाद के 75 अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की दृष्टि से किए जाने वाले कार्यों का प्रबोधन करने हेतु विभिन्न आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से सूचनाएं संकलित करने के साथ-साथ प्रत्येक वर्ष निरीक्षण भी करता है। इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों का राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से निरीक्षण किया गया:-

- विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, अहमदाबाद।
- विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, वड़ोदरा।
- क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा।
- राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, नौएडा।
- विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, दिल्ली।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, दिल्ली।
- उच्च प्रशिक्षण संस्थान, लुधियाना।
- विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, लुधियाना।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु अध्यापन-सह-मार्गदर्शन केन्द्र, जालंधर।
- क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, वड़ोदरा।

33.10 गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय में 1 सितम्बर, से 30 सितम्बर, 2005 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित किया गया। 14 सितम्बर को महानिदेशालय मे हिंदी दिवस का आयोजन किया गया जिसमें महानिदेशक/संयुक्त सचिव ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया। जिससे कि हिंदी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति के साथ ही महानिदेशालय में हिंदी में कार्य करने का वातावरण बन सके। इसके लिए हिंदी में निम्नलिखित 12 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया:

1. हिंदी भाषियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता
2. अहिंदी भाषियों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता
3. कम्प्यूटर पर हिंदी टंकण प्रतियोगिता
4. समूह-घ कर्मचारियों के लिए श्रुतलेखन प्रतियोगिता
5. मौलिक रचना लेखन प्रतियोगिता
6. तत्काल प्रदत्त विषय पर त्वरित लेखन प्रतियोगिता
7. राजभाषा प्रश्नोत्तरी
8. हिंदी व्याकरण ज्ञान प्रतियोगिता
9. अधिकारियों हेतु तकनीकी रचना लेखन प्रतियोगिता
10. हिंदी भाषा अनुप्रयोग प्रतियोगिता
11. अनुवाद प्रतियोगिता
12. हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रतियोगिता

33.11 प्रतियोगिताओं की प्रतिक्रिया बड़ी उत्साहवर्धक रही। प्रतियोगिताओं में महानिदेशालय के सभी श्रेणियों के अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया। रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के संपूर्ण भारतवर्ष में फैले अधीनस्थ कार्यालयों में भी इसी प्रकार हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा/हिंदी माह मनाने के निदेश दिए गए थे। प्रतिक्रिया स्वरूप अनेक कार्यालयों/संस्थानों से हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा मनाए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सेवा प्रतिवेदन

33.12 रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों में कुल 2527 कर्मचारी हैं। सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के समुचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारी द्वारा आरक्षण संबंधी रोस्टरों पर निगरानी रखी जाती है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व का ब्यौरा तालिका 33.2 में दिया गया।

तालिका 33.2

कर्मचारी वर्ग	कर्मचारी की स्थिति	आरक्षण हेतु लंबित		स्थिति में		अतिरिक्त (+) कमी (-)	
		अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अनु.जाति	अनु.ज.जा.	अनु.जाति	अनु.ज.जा.
समूह-क	241	36	18	52	14	+(16)	(-)4
समूह-ख	397	60	30	82	26	+(22)	(-)4
समूह-ग	1259	188	94	332	79	+(144)	(-)15
समूह-घ	630	94	47	306	66	+(212)	(+)19
कुल	2527	378	189	772	185	+(442)	(-)4

****